

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त अपर निदेशक ग्रेड-11, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
- 2-अपर निदेशक ग्रेड-2, पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग लखनऊ।
- 3-संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र,
(चकगंजरिया) रहमानखेडा, लखनऊ/निबलेट बाराबंकी/बाबूगढ़ हापुड़।
- 4-परियोजना अधिकारी, सघन भेड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना, मिर्जापुर।
- 5-परियोजना निदेशक, वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़ चन्दौली।
- 6-संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, मंझरा खीरी।
- 7-प्रधानाचार्य आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
- 8-संयुक्त निदेशक, एनीमल न्यूट्रीशन पशु आहार प्रयोगशाला, निदेशालय कैम्पस,
लखनऊ।
- 9-संयुक्त निदेशक, भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा।
- 10-उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर लखनऊ।

संख्या 3696/स्था०-2/1-ख/13(2309)/2015

दिनांक 4-9-15

विषय: पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील
संख्या-2608/2011 यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा०
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 का अनुपालन कराये
जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 3495/स्था०-2/1-ख/13(2309)/2015 दिनांक 27.08.2015 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या-3494/37-1-2015-5 (19)/2015 दिनांक 24 अगस्त, 2015 एवं उक्त के साथ संलग्न कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 08/04/01/2002टी०सी०-1-क-2/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 में दिये गये निर्देशानुसार पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28.04.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.1997 के बाद समूह "ग" एवं "घ" के प्रोन्नत कर्मियों के संबंध में दिनांक 31.08.2015 तक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के संबंध में आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की पुष्टि हेतु यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये कि उक्त संदर्भित शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है तथा इस शासनादेश से आच्छादित कोई भी कार्मिक छूटा नहीं है। उक्त प्रमाण-पत्र दिनांक 05.09.2015 तक निदेशालय को ई-मेल एवं फैंक्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० राजेश बाबू)

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास।

